

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

दल्लभ भवन, भोपाल-462004
=====

क्रमांक एफ 73-79/20-3/2003
प्रति,

भोपाल, दिनांक -

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय वात्सल्य पब्लिक स्कूल, मन्दसौर को सी.डी.एच. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी. देने का बंध ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय वात्सल्य पब्लिक स्कूल, मन्दसौर को सी.डी.एच. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र विशेष प्रकरणा मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पंजीयक {परीक्षा} को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा ।
2. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में छलछुट्टे यदि संस्था ने किन्हीं कार्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
4. डेल कूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सहभागिता ग्रहण कर सकता है, परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि MO प्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी डेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो अमलबद्ध कराना होगा ।

(Signature)
Principal
Vatsalya Public School
Mandsaur :

निरन्तर 2 पर.

5. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

श्री १०१
[समूह एन० आर्य]
अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पु० क्रमांक एक 73-79/20-3/2003

मोपाल, दिनांक - 27/06/03

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मन्दासौर, म०प्र०।
 - ✓ 3. प्राचार्य, वात्सल्य पब्लिक स्कूल मन्दासौर, म०प्र०
- की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित है।

M. Singh
27/06/03
अवर सचिव

Shivash

Principal
Vatsalya Public School
Mandsaur

← म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग